

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक— शिविरा-मा/संस्था/गोप्र/मॉड्यूल/2022-23

दिनांक— 02.05.23

कार्यालय आदेश

कार्मिक विभाग के पत्रांक प.13(51)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2022 जयपुर दिनांक: 30.04.2023 के द्वारा ऑनलाईन एपीएआर भरने एवं ऑटो फॉरवर्ड/अप्रूवल किये जाने हेतु समय सीमा दिनांक 30.04.2023 से बढ़ाकर 31.05.2023 की गई है। उक्त आदेश अनुसरण में शिक्षा विभाग के लोकसेवकों का जिनका वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन हेतु सत्र 31 मार्च को पूर्ण होता है, कि वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन भरने एवं Auto Forward/Approval किये जाने हेतु समय सीमा दिनांक 30.04.2023 को बढ़ाकर दिनांक 31.05.2023 तक की जाती है।

संबंधित लोकसेवकों एवं अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2022-23 शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रविष्टि इस कार्यालय के परिपत्र/पत्र दिनांक 23.11.2020, 20.07.2021, 16.06.2022, 22.04.2023 एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश/परिपत्र में प्रदत्त निर्देशों की पालना के साथ निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।



(गौरव अग्रवाल)

I.A.S.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक— 02.05.23

क्रमांक— शिविरा-मा/संस्था/गोप्र/मॉड्यूल/2022-23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु: नव जयते

1. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर ।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार में समस्त अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा उक्त आदेश की पालना की सुनिश्चितता करें।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक/माध्यमिक ।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
6. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने बाबत ।
7. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा ।
8. समस्त प्रतिवेदित/प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी एवं लोकसेवक शिक्षा विभाग, राजस्थान को पालनार्थ ।
9. रक्षित पत्रावली ।



जि.शि.अ. (डी.पी.सी.)